बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :– 2/अ0प्र0–1–156/23 2997 /पटना, दिनांक :– 5.12.24

श्री दिलीप कुमार, तदेन अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल दरभंगा के विरूद्ध पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने, डिक्री में पारित आदेश के बावजूद पहली पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देने, माननीय न्यायालय द्वारा दूसरी पत्नी को अवैध घोषित किये जाने के बावजूद पहली पत्नी से अलग रहने, मधेपुरा थाना में दर्ज प्राथमिकी की सूचना विभाग को नहीं देने, बिना किसी विधिमान्य कारण के दूसरी शादी करने तथा इसकी न तो सरकारी से अनुमति लेने और न ही संबंधित कार्यालय/मुख्यालय को इसकी सूचना देने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) एवं नियम 23 का उल्लंघन करने इत्यादि आरोपों के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4372 दिनांक 05.08.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप–पत्र पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तद्‌लोक में आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय ज्ञाप सं0 2433 दिनांक 10.09.2024 द्वारा श्री कुमार को बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 28.09.2024 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें श्री कुमार द्वारा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार किया गया है।

3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इनके बचाव बयान को अस्वीकृत किया गया तथा आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जॉच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही में श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री दिलीप कुमार, तदेन अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल दरभंगा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थिति होंगे।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/12/24

(डॉ0 फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—156/23 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना—सह—संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 2178 दिनांक 28.02.2017 के आलोक में श्री दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जॉच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—156/23 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दिलीप कुमार, तदेन अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :— यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—156/23 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक यो0आ06/4—04/2023—4372 दिनांक 05.08.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—156/23 2997 /पटना, दिनांक :— 5-12-24

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव